

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित किये जाने के बाबत आवेदन पत्र

(मध्याह्न भोजन योजना)

प्रेषक,

दिनांक ——————

सेवा में,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी—

—सह—अपर समाहर्ता

जिला ..... (झारखण्ड)

विषय:— मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायत—पत्र।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में मुझे निम्नलिखित अधिकारों से वंचित किया गया है:—

(1)

(2)

(3)

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के प्रावधानों के आलोक में नियमसंगत अधिकार दिलाया जाय। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

धन्यवाद।

आवेदक का पूरा नाम ..... पिता/पति का नाम .....

मोबाइल सं0 ..... (यदि है तो)

आधार कार्ड सं0 ..... (यदि है तो)

विद्यालय का नाम एवं पता ——————

आवेदक का हस्ताक्षर